



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR TEMPORARY RESTORATION OF THE ROAD



F.D.R. TEMPORARY RESTORATION YEAR :- 2024-2025

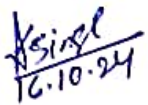
NAME OF ROAD	:- T03-T03 To Dhangara (Rcc Bridge at T03-T03 To Dhangara at CH :- 9.200 KM)
DISTRICT	:- KISHANGANJ
DIVISION	:- R.W.D.(W) KISHANGANJ-2
BLOCK	:- Dighalbank
ESTIMATED COST	:- Rs 218096.00
IN WORDS	:- Rupees two Lakh(s) eighteen Thousand Three Hundred ninety six only

प्रतिवेदन

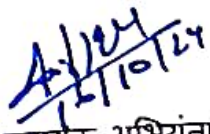
प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-2 अंतर्गत दिघलबैंक प्रखंड के पथ "Kcc Bridge at Ta3-Ta3 To Dhongara at Ch-9.200 km" जो विभागीय Online Monitoring Syatem MIS पर अपलोड है के बाढ़ 2024 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात लायक Motorable हेतु बनाया गया है। इस कार्य को कराने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:- मु0अ0-7 (नि0 एवं गु0) FDR 09-03-2024 - 1999 / पटना, दिनांक- 04.06.2024 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time geo-tagged photograph को कार्य के दौरान अपलोड करते हुए (Motorable) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में कंकड़ नदी / नदी उपधार से आए बाढ़ के कारण इस पथ के Roadway के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Motorable कार्य के साथ-साथ सुरक्षात्मक कार्य कराया गया है। MIS में अपलोडेड फोटो क्षतिग्रस्त होने का कार्य होने के दौरान का एवं पुनः स्थापित हो जाने के बाद का Lat/Long रियल टाइम के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से निकलने वाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। Motorable कार्य में आवश्यकता अनुसार Bamboo Pilling / Pitching of E.C. Bags filled with local sand / Local sand filling / Brick bats का इस्तेमाल किया गया है। Motorable कार्य कराकर यातायात बहाल कर दिया गया है। निर्देशानुसार कराये गए कार्य का Geo-tagged photo real time के साथ MIS पर अपलोड है। MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्धतन है।

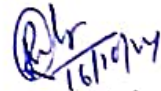
प्राक्कलन की यथा शीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।


16.10.24

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा- दिघलबैंक


16/10/24

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल- दिघलबैंक


16/10/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, किशनगंज -2

Inspection Report for Flood Damage Work

1. Name of PIUs : RWD Kishanganj-2

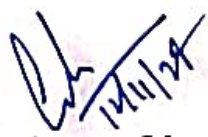
2. Name Of Block / Road : Dighalbank / To3-To3 To Dhargara (Rec Bridge at To3-To3 To Dhargara at CH:- 9.200 km

A. For Road

1. Damage Location / Chainage : CH:- 9.200 km
2. Damage Length : 12.00 m
3. Nature Of Damage :
4. Details Of Restoration :
- i) Material Being Used In Restoration : Bambo Pile, Earthwork, EC Bags
- ii) Equipment / Tools Being Used In Restoration Works : Bambo Pile Machine, JCB
- iii) Procedure Taken Up In Restoration Works :
- iv) Restored Length : 12.00 m

B. For Bridge

1. Damage Location / Chainage :
2. Damage Length :
3. Nature Of Damage :
4. Details Of Restoration :
- i) Material Being Used In Restoration :
- ii) Equipment / Tools Being Used in Restoration Works :
- iii) Procedure Taken Up In Restoration Works ::
- iv) Restored Length :


Signature of Inspector
(official seal)

ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— मु0अ0-7(नि0 एवं गु0) FDR-09-03/2024 - 1999 पटना, दिनांक— 04/06/2024

प्रेषक,

भगवत राम,
अभियंता प्रमुख—सह—अपर
आयुक्त—सह—विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

- (1) सभी अधीक्षण अभियंता,
कार्य अंचल,
ग्रामीण कार्य विभाग।
- (2) सभी कार्यपालक अभियंता,
कार्य प्रमंडल,
ग्रामीण कार्य विभाग।

विषय:— वर्ष—2024-25 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों में पुनर्स्थापन कार्य कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पथों एवं पुलों में अस्थाई पुनर्स्थापन एवं पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं :—

(A) अस्थाई पुनर्स्थापन (Motorable) कार्य :—

(1) आगामी वर्षात के दृष्टिगत, पथों को मोटरेबुल बनाने हेतु सामग्रियों/सेवाओं/ Tools & Plants आदि के आपूर्तिकर्ताओं के Panel बनाने की कार्रवाई 12.06.2024 तक पूरी की जाए।

(2) क्षतिग्रस्त पथों के मोटरेबुल कार्य हेतु विभागीय पत्रांक—1956 दिनांक—28.05.2024 द्वारा निर्धारित Time Line का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

(3) बाढ़ से प्रभावित होने वाले पथों की सर्वप्रथम Entry Google Spread Sheet पर Initial Flood Damage Road and Bridge वाले Column में की जायेगी।

(4) यदि पथ जलमग्न हो गया हो तो जलस्तर घटने पर पथ का कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता पथ का निरीक्षण करेंगे एवं पथ के कटाव स्थल का Geotag and Time Stamp Photography कर क्षतिग्रस्तता के संबंध में सूचना Google Spread Sheet तथा MIS पर Upload करेंगे।

(5) जिस पथ में कटाव (आवागमन बाधित) हुआ है यदि वह पथ संबंधित बसावट को सम्पर्कता प्रदान करने वाला एक मात्र पथ है तो ऐसे पथों में Motorable कार्य त्वरित रूप से प्रारंभ किया जाए।

(6) कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने पर स्थल का कई कोण से Geotagged and Time Stamp Photography के साथ-साथ Drone के माध्यम से 3 Stage Videography अनिवार्यतः की जाए। जिसमें —

Stage-I — बाढ़ के समय का Drone Videography, जिससे स्पष्ट हो कि पथ बाढ़ से प्रभावित

Stage-II – बाढ़ का जलस्तर घटने पर, जिससे पथ में हुए क्षति को स्पष्ट रूप से देखा जा सके।

Stage-III – क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य पूर्ण हो जाने पर।

(7) प्राकृतिक बहाव के आलोक में जिन पथों पर पूर्व में भी उसी स्थल पर कटाव हुआ है वैसी स्थिति में इस स्थल पर पूर्ण पुनर्स्थापन हेतु आवश्यक CD Structure (Cross Drainage Structure) का प्रस्ताव सभी आवश्यक जलीय एवं अन्य आकड़ों के साथ विभाग को समर्पित किया जाए।

(8) जल स्तर घटने पर निरीक्षण के क्रम में पाया जाता है कि पथ का Flank आदि क्षतिग्रस्त हुआ है तो ऐसी स्थिति में FDR के अंतर्गत कोई कार्य नहीं किया जाए।

(9) निर्माणाधीन/पंचवर्षीय अनुरक्षणाधीन पथों में प्रायः वर्षापात होने पर Flank के साथ-साथ Crust के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त होने पर यदि यातायात बाधित नहीं होने की स्थिति हैं, तो ऐसे पथों में भी FDR के अंतर्गत कार्य नहीं कराया जाए।

(10) बसावटों के मध्य भाग में प्रायः वर्षा के मौसम में कीचड़/पानी जमा हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में पानी की निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए, ना कि ऐसे स्थलों पर Brick bat नरा जाए।

(11) कटाव स्थल को Motorable बनाने में मदों की वास्तविक मात्रा को MB में Entry करते हुए प्राक्कलन का गठन किया जाय जिसकी जाँच कार्य अंचल द्वारा निर्धारित असंबद्ध कार्यपालक अभियंता एवं 25% पथों में नमूने के तौर पर असंबद्ध अधीक्षण अभियंता से कराया जायेगा।
जाँचोपरान्त अधीक्षण अभियंता से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाए।

(12) सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल अपने क्षेत्राधीन कार्य प्रमंडलों के मोटरेबुल किये गये पथों के जाँच हेतु अपने क्षेत्राधीन अन्य कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को नामित करेंगे। नामित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि नामित कार्यपालक अभियंता परस्पर एक-दूसरे के कार्यों की जाँच नहीं करें। असंबद्ध अधीक्षण अभियंता द्वारा 25 प्रतिशत नमूने के तौर पर जाँच किये जाने वाले कार्यों का निर्धारण भी संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जाएगा।

(13) इस प्रकार तैयार किए गए तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन, जाँच प्रतिवेदन एवं Geotag and Time Stamp Photograph को MIS पर Upload किया जाए।

(14) पथों के क्षतिग्रस्तता के Data, Document एवं Photograph Upload करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि ये सभी उसी पथ का है जिसका नाम संबंधित कॉलम में अंकित है।

Stage-II – बाढ़ का जलस्तर घटने पर, जिससे पथ में हुए क्षति को स्पष्ट रूप से देखा जा सके।

Stage-III – क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य पूर्ण हो जाने पर।

(7) प्राकृतिक बहाव के आलोक में जिन पथों पर पूर्व में भी उसी स्थल पर कटाव हुआ है वैसी स्थिति में इस स्थल पर पूर्ण पुनर्स्थापन हेतु आवश्यक CD Structure (Cross Drainage Structure) का प्रस्ताव सभी आवश्यक जलीय एवं अन्य आकड़ों के साथ विभाग को समर्पित किया जाए।

(8) जल स्तर घटने पर निरीक्षण के क्रम में पाया जाता है कि पथ का Flank आदि क्षतिग्रस्त हुआ है तो ऐसी स्थिति में FDR के अंतर्गत कोई कार्य नहीं किया जाए।

(9) निर्माणाधीन/पंचवर्षीय अनुरक्षणाधीन पथों में प्रायः वर्षापात होने पर Flank के साथ-साथ Crust के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त होने पर यदि यातायात बाधित नहीं होने की स्थिति है, तो ऐसे पथों में भी FDR के अंतर्गत कार्य नहीं कराया जाए।

(10) बसावटों के मध्य भाग में प्रायः वर्षा के मौसम में कीचड़/पानी जमा हो जाती है। ऐसी स्थिति में पानी की निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए, ना कि ऐसे स्थलों पर Brick bat मरा जाए।

(11) कटाव स्थल को Motorable बनाने में मदों की वास्तविक मात्रा को MB में Entry करते हुए प्राक्कलन का गठन किया जाय जिसकी जाँच कार्य अंचल द्वारा निर्धारित असंबद्ध कार्यपालक अभियंता एवं 25% पथों में नमूने के तौर पर असंबद्ध अधीक्षण अभियंता से कराया जायेगा।

जाँचोपरान्त अधीक्षण अभियंता से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाए।

(12) सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल अपने क्षेत्राधीन कार्य प्रमंडलों के मोटरेबुल किये गये पथों के जाँच हेतु अपने क्षेत्राधीन अन्य कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को नामित करेंगे। नामित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि नामित कार्यपालक अभियंता परस्पर एक-दूसरे के कार्यों की जाँच नहीं करें। असंबद्ध अधीक्षण अभियंता द्वारा 25 प्रतिशत नमूने के तौर पर जाँच किये जाने वाले कार्यों का निर्धारण भी संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जाएगा।

(13) इस प्रकार तैयार किए गए तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन, जाँच प्रतिवेदन एवं Geotag and Time Stamp Photograph को MIS पर Upload किया जाए।

(14) पथों के क्षतिग्रस्तता के Data, Document एवं Photograph Upload करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि ये सभी उसी पथ का है जिसका नाम संबंधित कॉलम में अंकित है।

(15) मोटरबल का कार्य कच्चे/निर्माणाधीन/निर्मित लम्बाई के Extended भाग में/ Foreign पथों में सक्षम प्राधिकार के निदेश के अभाव में नहीं कराया जाय। इस प्रकार के पथों को MIS पर अपलोड किये जाने पर भी, उनकी स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा।

(B) स्थायी पुनर्स्थापन कार्य :-

(क) ऐसे पथ या पुल जो निर्माण/पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में हैं अर्थात् किसी एकरारनामा से अच्छादित हैं उनके पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य के लिए निम्न प्रावधान रहेंगे :-

(1) क्षतिग्रस्त भाग को पूर्व स्थिति में लाने के लिए उक्त पथ के क्षतिग्रस्त भाग का मद विचलन हेतु नियमानुसार पुनरीक्षित प्राक्कलन का प्रस्ताव उसी शीर्ष से दिया जाए जिस योजना में पथ एकरारित अवधि में है। नियमानुसार पूरक एकरारनामा कर पूर्व में एकरारित दर पर उसी संवेदक से पुनर्स्थापन कार्य करा लिया जाए। उक्त अंश के कार्यों का भुगतान गैर योजना शीर्ष 3054/FDR से किया जाएगा। पुनर्स्थापन कार्य के पुनरीक्षित प्राक्कलन में इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाए कि अस्थाई पुनर्स्थापन कार्य में उपयोग किए गए आवश्यक अवयवों का समुचित समायोजन कर लिया गया है एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन सिर्फ बाढ़ से क्षतिग्रस्त भाग का ही बनाया गया है एवं संवेदक की लापरवाही से कोई क्षति नहीं हुई है।

(ख) यदि बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ एकरारित अवधि के बाहर है :-

(i) बाढ़ से क्षतिग्रस्त वैसे पथ जो एकरारित अवधि के बाहर है अर्थात् जिनपर कोई संवेदक बहाल नहीं है, का प्राक्कलन निम्नवत् बनाया जाए :-

(1) यदि बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथांश 50% या उससे अधिक है वैसे स्थिति में सम्पूर्ण पथ की मरम्मत का प्रस्ताव बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

(2) यदि बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथांश 50% से कम है तब पथ के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का प्राक्कलन विभाग को समर्पित किया जाए।

(C) पुल-पुलियों का पुनर्स्थापन :-

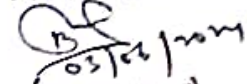
(1) बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों में अवस्थित पुल-पुलियों के एप्रोच के पुनर्स्थापन का कार्य भी पथों के पुनर्स्थापन कार्य के अनुरूप किया जाए।

(2) बाढ़ के कारण जिन पुल/पुलियों में Structural Damage हुआ है, उनके पुनर्स्थापन का कार्य हेतु मूल योजना से पुनरीक्षित प्राक्कलन का गठन किया जाए यदि वे एकरारित अवधि के अन्दर हों। एकरारित अवधि से बाहर हो चुके पुल/पुलियों की लम्बाई यदि 15 मीटर तक है तो उसके पुनर्स्थापन हेतु प्राक्कलन का गठन गैर योजना शीर्ष 3054 से किया जाए। 15 मीटर से अधिक लम्बाई वाले पुल/पुलियों के प्राक्कलन का गठन कर स्वीकृति हेतु विभाग को भेजी जाय ताकि निधि की उपलब्धता के अनुरूप समुचित शीर्ष से उसकी स्वीकृति दी जा सके।

(3) बाढ़ समाप्ति के उपरान्त जलपल्लवित क्षेत्र (Water logged area) के सभी Culvert के Protection Work यथा Cut off Wall, Apron की जाँच आवश्यक रूप से की जाय। यदि यह क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो पूर्ण पुनर्स्थापन के अंतर्गत इन अवयवों के मरम्मत हेतु प्रस्ताव दिया जाए।

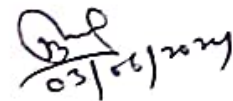
उपरोक्त दिशा निर्देश का अनुपालन आवश्यक रूप से किया जाए।

विश्वासभाजन


(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक:- मु0अ0-7(नि0 एवं गु0) FDR -09-03/2024-1999 ,पटना दिनांक:-04/06/2024
प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।

ABSTRACT OF COST

ne of Work :-	T03-T03 To Dhangara (Rcc Bridge at T03-T03 To Dhangara at CH :- 9.200 KM)
ck :-	Dighalbank
al length of Road :-	21.650 M
naged Length :-	12.00 M

No.	Particulars	Amount (In Rs.)
A	Providing bamboo piles including labour for cutting of 62 mm to 75 mm dia	Rs 14529.00
B	Supplying, fitting and fixing 62 mm to 75 mm dia bamboo runners	Rs 1726.00
D	Construction of Embankment with material obtained	Rs 55359.00
E	Providing and filling empty cement bags	Rs 131482.00
	Total Restoration Cost	Rs 203096.00
	Drone photography charj Three Times	Rs 15000.00
	SUB TOTAL COST	Rs 218096.00
	Total Cost with GST, LC & S.Fee	Rs 218096.00

[Signature]
16.10.24

Junior Engineer
R.W.D (Dighalbank)

[Signature]
16/10/24

Asstt. Engineer
R.W.D (Dighalbank)

[Signature]
16/10/24

Executive Engineer
R.W.D (W) Division Kishanganj-2

Technically approved for Rs 218096/- (Two lakh eighteen thousand ninety six) only.

[Signature]
16/11/24

Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle Kishanganj

[Signature]
16/11/2024
E.O.

Detailed Estimate

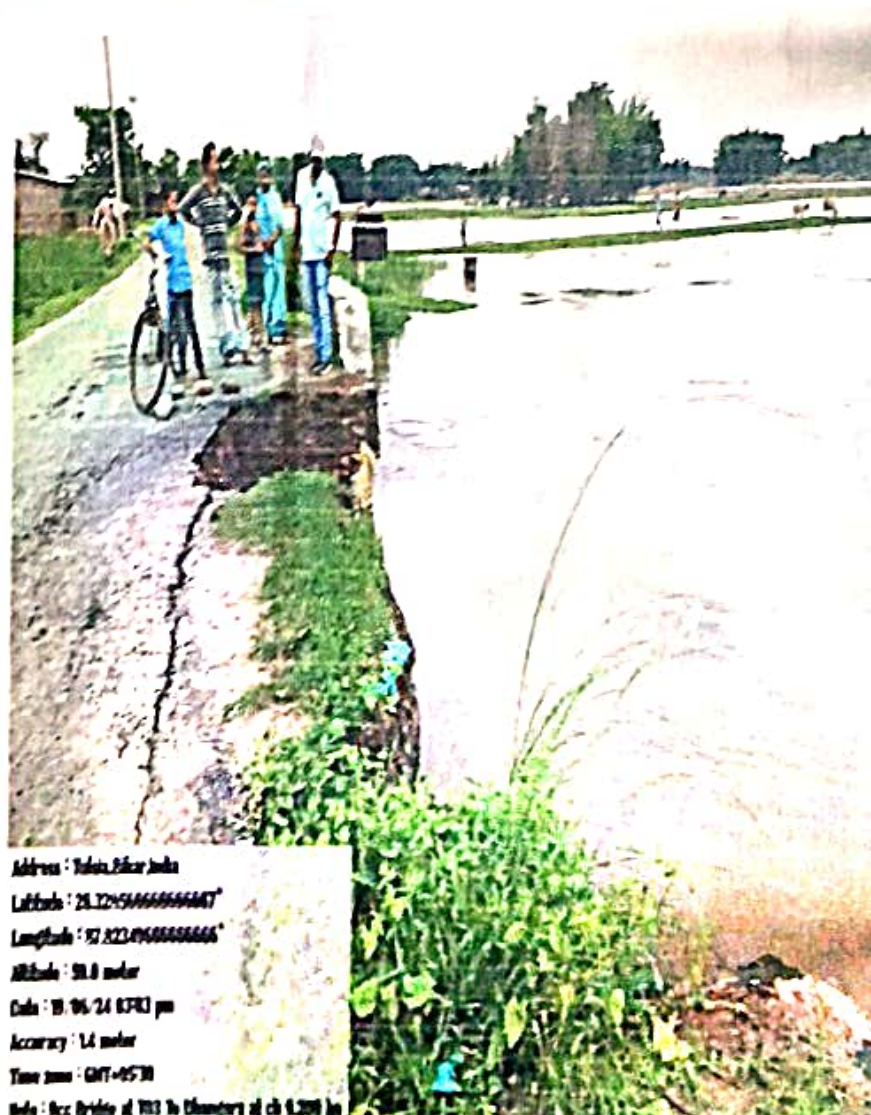
:- T03-T03 To Dhangara (Rcc Bridge at T03-T03 To Dhangara at CH :- 9.200 KM)

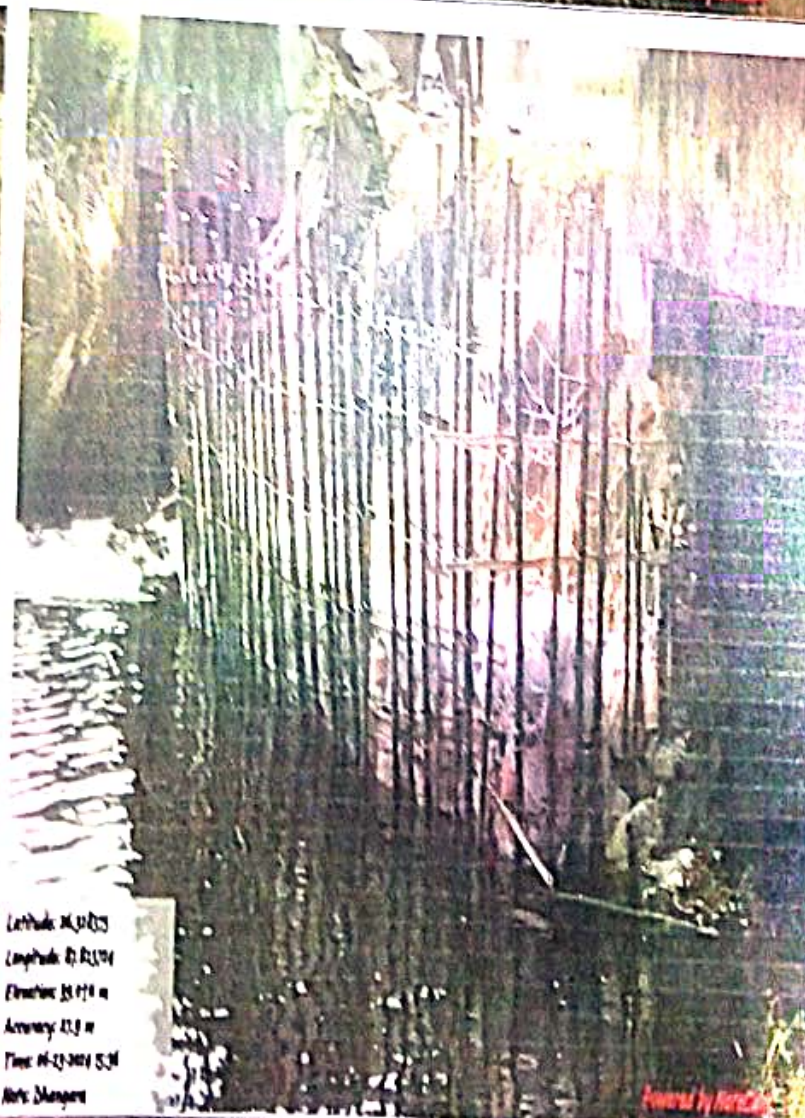
Sl. No.	Description	No.	No.	Length (M)	Width (M)	Height (M)	Qty.	Unit	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
7.7	Providing bamboo piles including labour for cutting of 62 mm to 75 mm dia bamboo piles to size and making shoes and driving etc complete job as per specification and direction of E/I									
		1	60	3.50	-	-	210.00			
							Total:- 210.00	Mtr.	69.186	14529.00
7.9	Supplying, fitting and fixing 62 mm to 75 mm dia bamboo runners in position at every vertical pile with 150 mm long nails or 38 swg G.I. wire including cost of G.I. wire or nails, all material and labour complete job as per specification and direction of E/I.									
		1	4	12.00	-	-	48.00			
							Total:- 48.00	Mtr.	35.950	1726.00
13.1	Construction of Embankment with material obtained									
	Construction of embankment with approved material obtained from borrow pits with lift upto 1.5 m transporting to site spreading grading to required slope and compacting to meet requirement of table 300.1 and 300.2 with a lead of 1000 m as per technical specification									
		1	1	12.00	(3.5+1.8)/2	(4.0+3.5+2.0)/3	100.70			
							Total:- 100.70	Cum	549.740	55359.00
53	Providing and filling empty cement bags									
	Supply of new bag with labour for filling new EC bag with local sand (volume of filled bag 1.2 cft and weight 50kg), stitching on two line by approved nylon thread with stitching machine & generator, stacking the bags and placing with a lead of 150m including supply of nylon threads etc all complete as per approved design, specification and direction of E/I.									
		1	1	12.00	(3.0+2.0+1.0)/3	(4.5+3.0+2.5)/3	80.00			
							Total:- 80.00	Cum		
							@ 0.034 Cum each bag	No.	55.880	131482.00
										203096.00

Ksingh
16.10.24
er
lbank)

Asstt. Engineer
R.W.D (Dighalbank)
16/10/24

Executive Engineer
R.W.D (W) Division Kishanganj-2
16/10/24







Latitude 26.21569
Longitude 87.22514
Elevation 89.10 m
Accuracy 3.4 m
Time: 16-10-2024 12:39
Photo: Mangana



Latitude 26.21566
Longitude 87.22514
Elevation 89.10 m
Accuracy 3.4 m
Time: 16-10-2024 12:39
Photo: Mangana

Vsingh
16/10/24
72

4-1/24
16/10/24
AG

Q/r
16/10/24